Stand taken at Special U.N. Assembly Session on Disarmament

*79. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 7 on the 4th May, 1978 and state:

(a) whether India participated in the special session of U.N. Assembly on disarmament;

(b) if so, the broad outline of the stand taken by the Indian representatives; and

(c) broad assessment of the results of this special disarmament session?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir.

(b) India worked in close concert with the other non-aligned countries with a view to developing consensus amongst all Member States of the United Nations on a common strategy as well as concrete measures for achieving real progress in the field of disarmament, particularly nuclear disarmament.

(c) In India's view, although the Special Session did not achieve any spectacular results, the consensus Final Document, which has emerged from the Session, contains several positive features particularly in regard to the Programme of Action covering both nuclear and conventional disarmament and in respect of Machinery for future disarmament deliberations and negotiations.

Steel Export Commitment during Current Year

*80. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what are our steel export commitments during the current year;

(b) whether it is a fact that steel export has been adversely affected due to price hike and imposition of development cess; and

(c) if so, what steps Government propose to take to honour overseas commitments?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Country's export commitment for steel during the current year so far is 635,900 tonnes valued approximately at Rs. 121 crores.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

श्री रेयन टेक्सटाइल मिल्स, उज्जैन के श्रमिकों को मजूरी और बोनस की अदायगी

601. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री श्री रेयन टेक्सटाइल मिल्स, उज्जैन के श्रमिकों की मजूरी तथा बोनस की अदायगी के बारे में 9 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रेयन टेक्सटाइल मिल्स, उज्जैन के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उक्त जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख). जी हां । मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रश्न	प्राप्त हुई सूचना का विवरण
(क) क्या श्री रेयन टैक्सटाइल मिल, उज्जैन, के श्रमिकों को फैक्टरी अधिनियम तथा मजूरी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मजूरी नहीं दी जा रही है	(क) और (ख): कारखाना अधिनियम और मजदूरी संदाय अधिनियम श्री रेयन टैक्सटाइल मिल, उज्जैन पर लागू होते हैं। परन्तु मजदूरी दरें आपसी समझौते पर आधारित हैं और नियोजक मजदूरी का भुगतान संबंधित महीने से अगले महीने की सात तारीख को करता है। इसके अलावा वहां 'एडवांस' के भुगतान की प्रणाली भी प्रचलित है, जो अधिकतर 'खर्ची' के नाम से विख्यात है और जो प्रचलित भी है। खर्ची का भुगतान प्रत्येक मास की बाईस तारीख को किया जाता हैं। समयोपरि के भुगतान न किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार द्वारा इन श्रमिकों को निर्धारित मजूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और	
(ग) इस समय उक्त मिल में प्रत्येक पारी में अस्थायी, स्थायी तथा ठेकेदारी पर काम करने वाले अलग-अलग कितने श्रमिक हैं और प्रत्येक श्रेणी में श्रमिक को क्या मजूरी दी जा रही है और इस मिल के निर्माण के बाद से प्रत्येक बार श्रमिकों को कितना बोनस दिया गया ?	(ग) नियोजित श्रमिकों की संख्या कार्य कर रहे करघों की संख्या के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। नियोजित श्रमिकों की संख्या 2-3-1978 को निम्नानुसार थी :-

	दिन की पारी		रात की पारी	
	बुनकर	अन्य	बुनकर	अन्य
स्थायी अस्थायी	12	14	14	8
ठेके के आधार पर (मेण्डर्स)	—	6	—	—

वेतन : बुनकरों को उजरती दर के आधार पर भुगतान किया जाता है और उसकी औसत आय 12 रुपये से 15 रुपये के बीच है। अन्य वर्गों के कर्मचारियों की मजदूरी दरें निम्नानुसार हैं :—

जाबर	20 रुपये प्रतिदिन
वार्पर	19.50 रुपये प्रतिदिन
फिटर	12.50 रुपये प्रतिदिन
बढ़ई	10.00 रुपये प्रतिदिन
ड्राअर	10.00 रुपये प्रतिदिन
रोचर	7.50 रुपये प्रतिदिन
फोल्डर	8.00 रुपये प्रतिदिन
वाइंडर	7.00 रुपये प्रतिदिन
चौकीदार	6.00 रुपये प्रतिदिन
पैकर	5.00 रुपये प्रतिदिन
मजदूर	5.00 रुपये प्रतिदिन ।
पर्यवेक्षक	400.00 रु० प्रति मास
लिपिक	400.00 रु० प्रति मास
मेण्डर्स	उजरती-दर —औसत आय 20 रुपये प्रति दिन

बोनस : सूचित किया गया है कि इस कारखाने ने जनवरी, 1975 में उत्पादन करना प्रारम्भ किया था। कारखाने का लेखा वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक है। उसके लाभ और हानि की स्थिति इस प्रकार है :—

1974–75 हानि . . .	36,557.96 रुपये
1975–76 हानि	1,30,428.48 रुपये
1976–77 लाभ . . .	60,491.00 रुपये

राज्य सरकार के कथनानुसार अनुसूची 2 के साथ पठित बोनस संदाय अधिनियम की धारा 16 के अधीन, अभी इस कारखाने द्वारा बोनस देय नहीं है।

Single Price Policy—SAIL Units Flout Directions

602. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) has Government's attentions been drawn to the news item appeared in the 'Financial Express' dated 8-6-78 under the heading "Single price for pig iron, SAIL Units Flout JPC directives"; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Yes. Sir.

(b) The decision to keep the margin between J.P.C. price and Stockyard price at Rs. 35/- was applicable to different categories of steel only and not pig iron. There was, therefore, no flouting of J.P.C. directive as reported.

Pending Passport Applications

603. SHRI AHMED M. PATEL:
SHRI AMAR SINH V. RATHAWA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state: